विदेशी वायुयान (ईंधन एवं स्नेहक पर करों और शुल्कों से छूट) अधिनियम, 2002

अधिनियम संख्या 36, 2002
[11 जून, 2002]

एक अधिनियम, जिसका उद्देश्य भारत द्वारा अन्य देशों के साथ किए गए उन समझौतों को लागू करना है, जो 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर हेतु खोले गए अंतरराष्ट्रीय नागर **विमानन** अभिसमय (Convention on International Civil Aviation) के अनुसरण में किए गए थे।

जहाँ, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय पर भारत द्वारा दिनांक 7 दिसंबर, 1944 को हस्ताक्षर किए गए थे;

और जहाँ, भारत ने उक्त अभिसमय पर हस्ताक्षर करने के उपरांत, उस अभिसमय के पक्षकारों के साथ ऐसे समझौते किए जिनके अंतर्गत भारत में उन पक्षकारों के वायुयानों को आपूर्ति किए गए ईंधन और स्नेहक पर लगाए जाने वाले करों और शुल्कों से छूट प्रदान की गई;

अतः भारत के गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित अधिनियमित किया जाता है:–

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार

(1) इस अधिनियम का नाम विदेशी वायुयान (ईंधन एवं स्नेहक पर करों और शुल्कों से छूट) अधिनियम, 2002 होगा।

(2) यह संपूर्ण भारत पर लागू होगा।

2. परिभाषाएँ

इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "समझौते (Agreements)" से अभिप्राय उन वायु सेवा समझौतों (Air Services Agreements) अथवा वायु परिवहन समझौतों (Air Transport Agreements) से है, जो भारत द्वारा अभिसमय के पक्षकार देशों के साथ किए गए हैं;

(ख) "अभिसमय (Convention)" से अभिप्राय उस अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय (Convention on International Civil Aviation) से है, जिसे दिनांक 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर हेतु खोला गया था।

3. अन्य देशों के वायुयानों को आपूर्ति किए गए ईंधन और स्नेहक पर करों एवं शुल्कों से छूट

जहाँ, अभिसमय या किसी अन्य देश अथवा देशों के साथ हुए समझौते के अनुसरण में, भारत के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी विधि के अधीन, किसी अन्य देश या देशों के वायुयान के अभिन्न भाग बनने वाले पात्रों (receptacles) में भरे गए ईंधन और स्नेहक पर लगाए जाने वाले करों और शुल्कों से छूट प्रदान करना आवश्यक हो, वहाँ केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकती है जो उक्त अभिसमय या समझौते को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हों और तत्पश्चात, उक्त उपबंध उसी के अनुसार लागू होंगे तथा किसी अन्य विधि में इसके विपरीत कुछ भी निहित होने पर भी, ऐसे प्रयोग में उन्हें भारत में विधि का बल प्राप्त होगा।

– सुभाष सी. जैन
सचिव, भारत सरकार